भंवर लाल बनाम मोहन लाल

अपील संख्या : 2019/00464

03.08.2021	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा अपीलान्टगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था । जवाबदावा पेश होने के बाद कुछ प्रतिवादीगण का निधन हो जाने से उनके कायममुकामान बनाये जाने में पत्रावली लम्बित थी । कायमुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया और कायममुकामान का प्रार्थना विलम्ब से पेश किये जाने के आधार पर अपीलान्टगण के दावे को अबेट किया गया । वादी एवं प्रतिवादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं । मेहनत मजदूरी के लिए गॉव से बाहर जाकर मजदूरी करते थे । इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के निधन का समय पर पता नहीं चला । दावे को परीक्षण न्यायालय द्वारा कायममुकामान के प्रार्थना पत्र को विलम्ब से पेश किये जाने के आधार पर उन्हीं प्रतिवादीगण के खिलाफ अबेट किया जा सकता है जिनकी मृत्यु हुई है । सम्पूर्ण प्रतिवादीगण के खिलाफ अबेट कर दिया है । दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि कायममुकामान का प्रार्थना पत्र समय पर पेश नहीं किया गया है । मृत्यु की तिथि भी अंकित नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2018 को पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि प्रतिवादी क्रम 1/1 बरजी बाई, प्रतिवादी संख्या 3 मोती, प्रतिवादी संख्या 07 जमना, प्रतिवादी संख्या 08 गंगा, प्रतिवादी संख्या 11 बरधा, प्रतिवादी संख्या 13 मोडू, प्रतिवादी संख्या 14 रामनाथ, प्रतिवादी संख्या 15 छीतर का देहान्त हो चुका है । अतः उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। परीक्षण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दावा अबेट किया है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि कायममुकामान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो भी सिर्फ उन प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा अबेट हो सकता है जिनकी मृत्यु हुई है न कि समस्त प्रतिवादीगण के खिलाफ । वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं । ऐसी स्थिति में नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2019 बाबत् अबेट किये जाने दावा निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उचित हर्जे पर कायममुकामान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर प्रकरण में विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/08/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा